

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
पत्रांक 2566 / 14-10, अलीगढ़: दिनांक: फरवरी: 21, 2018

सेवामें,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:- पावर ग्रिड कारपोरेशन लि० द्वारा निर्माणाधीन 765 के०वी० उरई-अलीगढ़ पारेषण लाइन (पार्ट-2) पैकेज टी०ई०-09 पारेषण लाइन को वन भूमि के ऊपर से निकालने हेतु अलीगढ़ की 0.6595 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 46 वृक्षों एवं 280 पौधों कुल 326 वृक्षों/पौधों तथा हाथरस में 1.0082 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 11 वृक्षों कुल 1.6677 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 57 वृक्षों के पातन/शाखा तराशी एवं 280 पौधों के क्षति अर्थात् 337 वृक्षों/पौधों के पातन/ शाखा तराशी/ क्षति की अनुमति के सम्बन्ध में।
संदर्भ- आपका पत्रांक 2693/14-1 दिनांक 21.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है।

ऑनलाइन पार्ट 2 में बिन्दु 11 सी में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का उल्लेख कर, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन संशोधित प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस०डी०त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि: उप महाप्रबन्धक (लाईन निर्माण), पावर ग्रिड कार्पो० ऑफ इण्डिया लि०, उत्तरी क्षेत्र-3, फ्लैट नं०-304, ब्लॉक-डी, ग्रीनपार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड़, पोस्ट-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस०डी०त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।